

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 476]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 — आश्विन 9, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 सितम्बर 2020

अधिसूचना
सं. 63/2020—राज्य कर

क्रमांक एफ 10-74/2020/वाक/पांच(100).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 सितम्बर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) की धारा 10 के उपबंध प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 15 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-74/2020/वाक/पांच(100).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-74/2020/वाक/पांच(100) दिनांक 15-09-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 15th September 2020

NOTIFICATION

No. 63/2020-State Tax

No. F-10-74/2020/CT/V(100).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (No. 5 of 2020), the State Government hereby appoints the 1st day of September, 2020, as the date on which the provisions of section 10 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (No. 5 of 2020), shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.